भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं. 2906

12.12.2016 को उत्‍तर के लिए

**आनुवंशिक रूप से परिवर्धित फसलों के दुष्‍प्रभाव**

2906**. डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचू :**

क्‍या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या देश में आनुवंशिक रूप से परिवर्धित फसलों की खेती के लिए अनुमोदन प्राप्‍त करने हेतु एक प्रस्‍ताव है और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ख) क्‍या सरकार आनुवंशिक रूप से परिवर्धित फसलों के दुष्‍परिणामों से अवगत है और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या आनुवंशिक रूप से परिवर्धित सरसों की खेती को अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में जनता में गहरा रोष है और पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए इसकी तथा अन्‍य सभी इस प्रकार की फसलों की खेती के अनुमोदन को रोकने के लिए मंत्रालय के समक्ष धरना भी दिया गया है यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्‍या कार्रवाई की गई है?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) जी हां। प्रस्‍तावों में संकर उत्‍पादन प्रौद्योगिकी हेतु आनुवंशिक रूप से परिवर्धित (जीएम) सरसों, कीट रोधी और/अथवा शाकनाशी सह्य मक्‍का, बैंगन, मटर और अरहर की फसलों के प्रस्‍ताव हैं।

(ख) सरकार संभावित दुष्‍प्रभावों से अवगत है और उसने जीएमफसल के किस्‍मों के खतरों और लाभों के आकलन हेतु एक उचित कार्य प्रणाली स्‍थापित की है।

(ग) सरकार ने जीएम फसल की किस्‍मों के संबंध में आंशका के संबंध में उठाए गए मुद्दों को संज्ञान में लिया है।

(घ) किसी भी आनुवंशिक रूप से परिवर्धित (जीएम) फसल की किस्‍म की शुरूआत के लिए विभिन्‍न सरोकारों के आलोक में पर्यावरणीय और स्‍वास्‍थ्‍य पहलुओं पर विधिवत विचार किया जाना आवश्‍यक है। सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत खतरनाक सूक्ष्‍म जीवों/आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों अथवा कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग/आयात/निर्यात और भण्‍डारण हेतु नियमों के तहत जोखिमों और लाभ के आकलन हेतु उचित प्रक्रिया निर्धारित की है। आनुवंशिक रूप से फसलों को किसी भी प्रकार की स्‍वीकृति, नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है, जिसमें पणधारियों से प्राप्‍त अभ्‍यावेदनों को भी ध्‍यान में रखा जाता है।

\*\*\*\*\*\*\*